

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 277

दुर्ग, दिनांक - 31/08/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)

प्रकरण क्रमांक: 172

दिनांक: 28/07/2026

आवेदक

श्री कमलाकांत वर्मा
मोगरा 187, 8 ब्लॉक, तालपुरी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
भिलाई, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) — 490006
Consumer No- : 1005338270
ई-मेल : vermakamal24@gmail-com

विरुद्ध

आवेदकगण

- कार्यपालन अभियंता (SCADA) संभाग,
CSPDCL, भिलाई।
- सहायक अभियंता, रिसाली जोन,
CSPDCL, भिलाई।

आदेश

(आज दिनांक 27/08/2026 को पारित किया गया)

1. आवेदक की शिकायत

आवेदक द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई है कि उसके घरेलू विद्युत कनेक्शन, उपभोक्ता क्रमांक 1005338270, पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाने के पश्चात माह मई एवं जून 2026 के विद्युत देयकों में सही बिलिंग नहीं की गई है।

आवेदक के अनुसार उक्त अवधि में सोलर प्लांट से उत्पादित विद्युत एवं ग्रिड में निर्यात की गई विद्युत को ध्यान में रखते हुए विद्युत देयक तैयार किया जाना चाहिए था, किंतु बिल में उक्त गणना स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं हो रही है। अतः आवेदक द्वारा मई एवं जून 2026 के विद्युत देयकों की जाँच कर आवश्यक सुधार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है :-

1. आवेदक का विद्युत कनेक्शन घरेलू प्रयोजन हेतु स्थापित है।
2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 2 किलोवाट है।
3. उक्त घरेलू विद्युत कनेक्शन पर सौर ऊर्जा संयंत्र (Solar Plant) स्थापित है।

3. शिकायत का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा माह मई एवं जून 2026 के विद्युत देयकों में प्रदर्शित विद्युत खपत एवं सोलर उत्पादन के संबंध में विसंगति व्यक्त की गई है।

आवेदक का मुख्य कथन है कि DRE Generation Meter में प्रदर्शित solar generation units अधिक हैं, जबकि Export Units अपेक्षाकृत कम प्रदर्शित हो रही हैं। आवेदक के अनुसार Solar Generation एवं Export Units के मध्य इस अंतर के कारणों तथा विद्युत देयक में उसके प्रभाव को वह स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा है।

अतः आवेदक द्वारा उक्त मीटर रीडिंग एवं विद्युत देयक की गणना का परीक्षण कर आवश्यक स्पष्टीकरण एवं सुधार की मांग की गई है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा प्रकरण के संबंध में फोरम कार्यालय, दुर्ग में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।

अनावेदकगण के अनुसार आवेदक को विद्युत देयक से संबंधित गणना एवं आवश्यक जानकारी उसके मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई गई तथा उसे Generation Units एवं Export Units के मध्य अंतर के संबंध में भी विस्तारपूर्वक समझाया गया।

अनावेदकगण के अनुसार उक्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण दिए जाने के पश्चात आवेदक द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किए जाते हैं रु—

1. क्या माह मई एवं जून 2026 के विद्युत देयकों में DRE Generation Meter की बिलिंग की गई है?

2. क्या आवेदक द्वारा बताई गई Generation एवं Export Units के मध्य अंतर के कारण उसके विद्युत देयकों में कोई त्रुटि अथवा अतिरिक्त देयता उत्पन्न हुई है?
3. क्या आवेदक किसी प्रकार की बिल सुधार/अन्य राहत प्राप्त करने का अधिकारी है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 की विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत आवेदक की शिकायत, अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा उनके द्वारा प्रस्तुत संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

आवेदक की मुख्य आपत्ति माह मई एवं जून 2026 के दौरान DRE Generation Meter में प्रदर्शित Generation Units तथा Export Units के मध्य अंतर के संबंध में है।

फोरम यह पाता है कि सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित कुल विद्युत (Generation) एवं विद्युत ग्रिड में निर्यात की गई विद्युत (Export) एक ही मात्रा होना आवश्यक नहीं है। सौर संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत का एक भाग उपभोक्ता द्वारा उसी समय अपने घरेलू विद्युत भार की पूर्ति हेतु उपयोग किया जा सकता है तथा शेष उपलब्ध विद्युत ग्रिड में निर्यात हो सकती है। अतः Generation Units का Export Units से अधिक होना मात्र इस आधार पर बिलिंग में त्रुटि का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

अनावेदकगण द्वारा फोरम के समक्ष संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किए गए तथा आवेदक को विद्युत देयक की गणना एवं Generation तथा Export Units के अंतर के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया।

अनावेदकगण द्वारा यह भी बताया गया है कि आवेदक को उक्त गणना एवं अंतर के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई, जिसके पश्चात आवेदक द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

फोरम द्वारा उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत ऐसा कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर नहीं पाया गया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि माह मई एवं जून 2026 के विद्युत देयकों में Generation तथा Export Units को गलत तरीके से लिया गया अथवा उसके कारण आवेदक पर अनधिकृत अतिरिक्त विद्युत देयता आरोपित की गई।

अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 का निष्कर्ष

अनावेदक के पक्ष में दिया जाता है

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 की विवेचना एवं निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचना के आधार पर फोरम यह पाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत के समर्थन में ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित हो कि माह मई एवं जून 2026 के विद्युत देयकों में बिलिंग संबंधी त्रुटि हुई है।

अनावेदकगण द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण एवं संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं तथा आवेदक को Generation एवं Export Units के अंतर के संबंध में जानकारी भी प्रदान की गई है।

अतः वर्तमान प्रकरण में आवेदक द्वारा किसी अतिरिक्त बिल सुधार अथवा अन्य राहत का आधार प्रमाणित नहीं किया गया है।

इसलिए विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 का निष्कर्ष भी अनावेदक के पक्ष में दिया जाता है

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम यह पाता है कि

1. Generation Units एवं Export Units के मध्य अंतर होना अपने आप में बिलिंग त्रुटि का प्रमाण नहीं है। अनावेदकगण द्वारा आवेदक को संबंधित बिलिंग गणना एवं Generation तथा Export Units के अंतर के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत में किसी प्रकार की अतिरिक्त राहत अथवा बिल सुधार किए जाने का आधार नहीं पाया जाता।

फलतः प्रस्तुत परिवाद निराकृत किया जाता है।

2. आदेश पारित

3. प्रकरण निराकृत

4. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।


(ममता कश्यप)

सदस्या

विद्युत उपभोक्ता शिकायत

निवारण फोरम दुर्ग


(पी.वी. सजीव)

अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत

निवारण फोरम दुर्ग